



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बीजापुर, जिला बीजापुर (छ0ग0)

फोन नं.-07853220022, फैक्स नं.-07853220019, Email Id- bijapur.cg@nic.in


//आदेश//

क्रमांक/ 1098 /रीडर/कले0/2020, बीजापुर, दिनांक 13.06.2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1060/रीडर/कले0/2020 बीजापुर दिनांक 08.06.2020 के द्वारा सम्पूर्ण बीजापुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30.06.2020 तक के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1/ समेकित आदेश के कण्डिका क्रमांक-(4) के क्रमांक-17 में " गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक खुली रहने का आदेश जारी किया गया था, जिसे आंशिक संशोधन कर अनुमति प्राप्त सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं अन्य प्रतिष्ठानों को प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक संचालन हेतु अनुमति दी जाती है।


2/ पूर्व में जारी अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


(रितेश कुमार अग्रवाल)
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बीजापुर

पृ0क्रमांक/ 1098-A/रीडर/कले0/2020,
प्रतिलिपि:-

बीजापुर, दिनांक 13.06.2020

1. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0शासन गृह विभाग नवा रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ0ग0शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग नवा रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. कमिश्नर, बस्तर संभाग जगदलपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज जगदलपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीजापुर को सूचनार्थ।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बीजापुर को सूचनार्थ।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. जिला जनसंपर्क अधिकारी बीजापुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
11. सर्व तहसीलदार जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, जिला बीजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिला बीजापुर को सूचनार्थ। आप उक्ताशय की सूचना तत्काल मुनादी करावें।


कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
6) जिला बीजापुर